

उत्तराखण्ड शासन

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3

संख्या- 177/X-3-19-08(83)/2011 टी.सी.-3

देहरादून : दिनांक 06 मार्च, 2019

महानिदेशक,

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृपया उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष के चयन हेतु विज्ञप्ति हिन्दी तथा अंग्रेजी में आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि संलग्न विज्ञप्ति अंग्रेजी के एक समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इण्डिया के All India edition तथा हिन्दी के 02 सर्वाधिक प्रचार-प्रसार संख्या वाले स्थानीय समाचार पत्रों में खुला विज्ञापन (Open Advertisement) के माध्यम से प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

(आनन्द बर्द्धन)

प्रमुख सचिव

7/c

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना।

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद के चयन हेतु निम्नानुसार उल्लिखित पात्रता की शर्तानुसार अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1- बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे ख्यातिप्राप्त व्यक्ति में से जो जैव विविधता के संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग तथा लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित विषयों में ज्ञान एवं अनुभव रखता हो :-

(क) जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष पद से अनिम्न पद पर कार्यरत हो अथवा ऐसे पद से सेवानिवृत्त हुआ हो तथा उपनियम (1) में उल्लिखित सम्बन्धित विषयों का न्यूनतम 25 वर्षों का कार्य अनुभव धारित करता हो, अथवा

(ख) जिसकी अधिकतम आयु 62 वर्ष हो तथा जैव विविधता के संरक्षण तथा पोषणीय उपयोग और लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित विषयों में न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव धारित करता हो, में से की जायेगी।

2- अध्यक्ष की पदावधि

(क) बोर्ड का अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा।

(ख) अध्यक्ष का कार्यकाल यदि वह अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व नियुक्त हुआ हो, तो 03 वर्ष का होगा परन्तु अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के बाद नियुक्त होने की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष तक अथवा 03 वर्ष कार्यकाल, जो भी पहले हो, तक के लिये होगा।

3- अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते

(क) नियम 3(1)(क) के अन्तर्गत कार्यरत सरकारी सेवक की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में होने पर देय वेतन व अन्य भत्ते वही होंगे जो वे अपने पद पर अन्यथा प्राप्त करते।

(ख) नियम 3(1)(क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में होने पर उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि को देय वेतन व अन्य भत्ते के समरूप तथा राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित/देय होगा।

(ग) सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी से भिन्न श्रेणी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने पर वेतन एवं अन्य भत्ते वही होंगे जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

4- राज्य जैव विविधता नियमावली-2015 उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की वेबसाइट www.sbb.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

5- आवेदन कैसे करें :- इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायो-डाटा/C.V (हिन्दी अथवा अंग्रेजी में), शैक्षिक प्रमाण पत्रों/अनुभव प्रमाण पत्रों सहित लिफाफे पर "Application for the post of Chairman of Uttarakhand Bio-diversity Board" अंकित कर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा निम्न पते पर इस प्रकार भेजें कि आवेदन पत्र दिनांक 10.04.2019 की सांय 05:00 बजे तक अवश्य पहुँच जाय। आवेदन पत्र तथा समस्त संलग्नक pdf format में (single pdf file के रूप में) ई-मेल secy-for-ua@nic.in पर सब्जेक्ट लाइन "Application for the post of Chairman of Uttarakhand Bio-diversity Board" अंकित करते हुए उपरोक्त दिनांक व समय तक भेजे जा सकते हैं।

डाक पता :- प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय कक्ष-देवेन्द्र शास्त्री भवन, सचिवालय परिसर, 4-सुभाष रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन -248001

6- वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को बिना किसी कारण बताये उपरोक्त विज्ञापन को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी समय निरस्त/संशोधित करने का अधिकार होगा।

अत्र

Invitation for application regarding selection of Chair person Uttarakhand State Bio-diversity Board

Government of Uttarakhand invites application from eligible candidates for the post of Chairman, Uttarakhand State Bio-diversity Board, as per existing rules stated below :-

1. The appointment on the post of Chairperson of the Board, by the State Government shall be from such eminent person having knowledge and experience in the subject of conservation & sustainable use of biological diversity and in the matters relating to equitable sharing of benefits -

- (a) who is serving on the post not lower than that of Joint Secretary or its equivalent under Government of India or has retired from such post and having minimum experience of 25 years on the subject as mentioned in sub-rule (1), or
- (b) having not more than 62 years of age and a minimum experience of 25 years in the subject of conservation & sustainable use of biodiversity and equitable sharing of its benefits, be made.

2- Term of Office of Chairperson

- (a) The Chairperson of the Board shall hold the office for a term of 03 years from the date of taking over the charge and shall be eligible for re-appointment.
- (b) The term of office of Chairperson, if appointed prior to retirement from service, shall be of 03 years but if appointed after retirement, shall be till the age of 65 years or completing the tenure of 03 years, whichever is earlier.

3- Pay and Allowances of Chairperson

- (a) Serving Government servant, if appointed as Chairperson under rule 3(1)(a), shall be entitled to the same salary and other allowances as otherwise would have been admissible to him.
- (b) Retired Government servant, if appointed as Chairperson under rule 3(1)(a), shall be fixed after considering the salary and other allowances drawn on the date of retirement and also the prevailing rules of the State Government.
- (c) The Chairman, appointed from the source other than from the serving or the retired Government servants, shall draw such salary and other allowances as may be determined by the State Government from time to time.

4- The Uttarakhand Biodiversity Rules, 2015 are also available on the website www.sbb.uk.gov.in of Uttarakhand State Bio-diversity Board.

5- **How To Apply:-** Eligible applicants may send their Bioata/CV (in either English or Hindi) along with relevant self attested annexures including educational qualifications, experience certificates etc in a sealed envelope marked "Application for the post of Chairman of Uttarakhand Bio-diversity Board" at the top by Registered/Speed post, so as to reach at the following address by 5.00 pm on or before 10.04.2019. Applicants can also send their application and relevant documents in a 'single pdf file' by e-mail with subject title as "Application for the post of Chairman of Uttarakhand Bio-diversity Board" on e-mail id: secy-for-ua@nic.in so as to reach on or before above mentioned time and date.

Postal Address:- Principal Secretary, Forest & Environment Department, Uttarakhand Secretariat, Devendra Shastri Bhawan, 4-Subhash Road, Dehradun, Uttarakhand-248001.

6- Department of Forest & Environment, Government of Uttarakhand reserves the right to partially or fully cancel or amend the above advertisement at any time.

